उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– /(79/IX-1/2016)/2021
देहरादूनः दिनांक 16 दिसम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देश के अनुपालन में उत्तराखण्ड सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 135 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत जनपद स्तर पर, ऐसी प्रत्येक सड़क दुर्घटना जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गयी हो या कोई व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गये हो के वैज्ञानिक अन्वेषण हेतु राज्य के सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट (S.D.M.) की अध्यक्षता में परिवहन, पुलिस, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की निम्नवत् सड़क सुरक्षा जांच समिति का गठन किये जाने कि श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. पुलिस विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के अधिकारी जो पुलिस उपाधीक्षक (डी0एस0पी0) हों।
2. परिवहन विभाग के सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) जो सम्बन्धित जिले/उपसम्भाग में तैनात हों।
3. जनपद के सम्बन्धित मार्ग के कार्यदायी विभाग के प्रतिनिधि जो सहायक अभियन्ता से निम्न स्तर के न हों। (लोक निर्माण, पी0एम0जी0एस0वाई0, एन0एच0ए0आई0, बी0आर0ओ0 आदि)
4. यदि तकनीकी सहयोग हेतु निष्पक्ष एजेन्सी की आवश्यकता हो तो उपजिला मजिस्ट्रेट अपने स्तर पर किसी अन्य विभाग जैसे सिंचाई, लघु सिचांई अथवा ग्रामीण निर्माण विभाग के सिविल अभियन्ताओं को नामित कर सकते है।

उक्त समिति द्वारा निम्नवत कार्य किये जायेंगेः–

1. जनपदों में घटित दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण।
2. जनपदों के अन्तर्गत राजमार्गों पर मार्गस्थ सुख–सुविधाओं राजमार्गों पर यातायात सहायता चौकियां, राजमार्गों पर ट्रकों के खड़ा करने के लिए प्रक्षेत्र, और जनता की सुरक्षा और सुविधा के हितों में कोई अन्य सुविधाओं के विकास हेतु सुझाव प्रदान करना।

3. समिति द्वारा मासिक आख्या नियमित रूप से जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. समिति द्वारा मासिक आख्या नियमित रूप से लीड एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी तथा समय–समय पर लीड एजेन्सी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

उक्त समिति दुर्घटना घटित होने के **01 सप्ताह** के अन्तर्गत अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी और उक्त सम्बन्धी अभिलेख उत्तरांखण्ड पुलिस द्वारा अभिरक्षित रखे जायेंगे एवं जब आवश्यकता हो प्रस्तुत किए जायेंगें।

2– उक्त समिति द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव।

संख्या– 640/(79/IX-1/2016)/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त, गढवाल/कुमांऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क स्थापित प्रकरण पर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रकरण की प्राथमिकता के दृष्टिगत अपने स्तर से तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
7. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धितों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
8. समस्त उप जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
9. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाइल।

(आशुतोष शुक्ल)
उप सचिव।